पत्र संख्या-स्था-5(ख) -तदर्थ नियुक्ति-मौलिक नियुक्ति सत्यापन-2018-19// 1167 // वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 17 जून, 2019

-:: कार्यालय ज्ञाप ::-

श्री नवीन कुमार जैन, वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा बिक्री कर विभाग में लिपिक / टंकक के पद पर आदेश संख्या-8217 दिनांक 25-02-1981 के माध्यम से तदर्थ नियुक्ति किये जाने के फलस्वरुप दिनांक 03-03-1981 को कार्यभार ग्रहण किया गया। इस तदर्थ नियुक्ति को आदेश संख्या-1209 दिनांक 16-07-1984 के द्वारा विनियमित किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत लिपिक वर्गीय कार्मिकों की पत्र संख्या-3121 दिनांक 14-09-2006 के माध्यम से जारी की गयी ज्येष्ठता सूची में श्री नवीन कुमार जैन की ज्येष्ठता विनियमितीकरण की तिथि 06-07-1984 के अनुसार ज्येष्ठता क्रमांक-2644 पर निर्धारित रखी गयी थी। श्री जैन द्वारा अपनी विनियमितीकरण की तिथि संशोधित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत विनियमितीकरण आदेश दिनांक 16-07-1984 को मुख्यालय के आदेश संख्या-2932 दिनांक 25-08-2010 द्वारा संशोधित करते हुए कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि 02-03-1981 माने जाने के आदेश दिये गये। श्री जैन को तदर्थ नियुक्ति की तिथि से नियमित नियुक्ति का लाभ वर्ष 2010 में प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही के समान अन्य प्रकरण में कार्मिक विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार शासन ने अपने पत्र संख्या-2048/11-03-2018 दिनांक 04-12-2018 द्वारा निर्देश दिये हैं कि विनियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979, प्रथम संशोधन नियमावली-1984, द्वितीय संशोधन नियमावली-1989 तथा तृतीय संशोधन नियमावली-2001 निर्गत की गयी है, जिसमें नियमावली के प्रारम्भ होने कि तिथि से 03 वर्ष की तदर्थ सेवा निरन्तर पूर्ण होने की स्थिति में विनियमितीकरण का प्राविधान किया गया है। उक्त नियमावलियों में पूर्वगामी तिथि से अथवा मृत्यु के पश्चात विनियमितीकरण किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। इस आधार पर नियमावली के प्राविधानों के विपरीत किये गये उपरोक्त विनियमितीकरण आदेश दिनांक 25-08-2010 में पूर्वगामी तिथि से दिये गये विनियमितीकरण के लाभ को निरस्त किये जाने एवं तदोपरान्त देय सेवा लाभ सम्बन्धी यथेष्ट कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

शासन से प्राप्त उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री नवीन कुमार जैन, वाणिज्य कर अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी कि क्यों न उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979 में दिये गये प्राविधानों एवं शासन के पत्र दिनांक 04-12-2018 में दिये गये निर्देशानुसार पूर्वगामी तिथि 02-03-1981 से किया गया विनियमितीकरण आदेश संख्या-2932 दिनांक 25-08-2010 को निरस्त करते हुए तदर्थ नियुक्ति को विनियमित किये जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश संख्या-1209 दिनांक 16-07-1984 के आधार पर विनियमितीकरण की तिथि 16-07-1984 को मान्यता प्रदान कर दी जाए।

उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 28-12-2018 के अनुपालन में श्री जैन द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 07-01-2019 के क्रम में परीक्षणोपरान्त आदेश संख्या-585 दिनांक 13-05-2019 द्वारा पूर्वगामी तिथि 02-03-1981 से किये गये विनियमितीकरण आदेश संख्या-2932 दिनांक 25-08-2010 को निरस्त कर दिया गया तथा कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी तदर्थ नियुक्ति उपरान्त सेवायें विनियमित किये जाने हेतु पूर्व में जारी किये गये विनियमितीकरण आदेश संख्या-1209 दिनांक 16-07-1984 को मान्यता प्रदान करते हुये कनिष्ठ लिपिक के पद पर श्री जैन की विनियमितीकरण की तिथि 16-07-1984 निर्धारित की गयी है।

tadarth

शासन के पत्र दिनांक 04-12-2018 में दिये गये निर्देश तथा विनियमितीकरण के सम्बन्ध में पारित उक्त आदेश दिनांक 13-05-2019 के अनुपालन में कर्मचारी की ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है । उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979 के नियम-7(1) में प्राविधान दिया गया है कि इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा ।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1991 के नियम-4(ज) में यह प्राविधान दिया गया है कि मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, इसी नियमावली के नियम-8(1) में प्राविधान दिया गया है कि जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी ।

उक्त आदेश संख्या-585 दिनांक 13-05-2019 में की गयी व्याख्या के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-3473 दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से जारी की गयी लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची में श्री नवीन कुमार जैन की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति तिथि 02-03-1981 व जन्मतिथि 12-06-1959 के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक-316 पर अवस्थित है । तदर्थ नियुक्ति की तिथि 02-03-1981 से नियमित नियुक्त माने जाने सम्बन्धी पूर्व में जारी आदेश संख्या-2932 दिनांक 25-08-2010, उपर्युक्त आदेश दिनांक 13-05-2019 द्वारा निरस्त कर दिये जाने एवं विनियमितीकरण की तिथि 16-07-1984 निर्धारित किये जाने के कारण शासन के पत्र दिनांक 04-12-2018 एवं ज्येष्ठता नियमावली में अंकित उक्त प्राविधानान्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-3473 दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से जारी की गयी लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची-2015 में श्री नवीन कुमार जैन की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि 16-07-1984 व जन्मतिथि 12-06-1959 के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक-517(श्री उमाकान्त अवस्थी- नियुक्ति तिथि 16-07-1984 व जन्मतिथि 31-08-1955) एवं ज्येष्ठता क्रमांक-518(श्री सुधीर चन्द्र मिश्रा- नियुक्ति तिथि 16-07-1984 व जन्मतिथि 17-10-1959) के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक 517A पर अवस्थित की जाती है। तदनुसार देय सेवा लाभ सम्बन्धी यथेष्ट कार्यवाही तत्काल पूर्ण करायी जाये ।

ह0/-
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार संशोधित ज्येष्ठता को अपने अधीनस्थ तैनात समस्त लिपिक वर्गीय कार्मिकों को प्रत्येक दशा में अवलोकित करा दें।

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4- समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

13.6.19
(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर(स्थापना अराज0)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

tadarth